न्यायालय सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 55/2024 **जीसीएमएस नम्बर 2024/121**

अनवान

1. छगनाराम पुत्र पांचाराम आयु 44 वर्ष जाति मेघवाल निवासी भूतेल तहसील चितलवाना जिला जालोर।

वादी...............

1. जमनादेवी पत्नी राणाराम जाति मेघवाल निवासी सांचोर तहसील सांचोर जिला जालोर।
2. पारसाराम पुत्र कलाराम जाति मेघवाल निवासी सांचोर तहसील सांचोर जिला जालोर।
3. भमराराम पुत्र कलाराम जाति मेघवाल निवासी सांचोर तहसील सांचोर जिला जालोर।
4. राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार सांचोर जिला जालोर (राज०)

प्रतिवादीगण.........

दावा बाबत बंटवाडा एवं जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. वादी की ओर से अधिवक्ता पुरुषोतम दवे, प्रवीण कुमार दवे, महेन्द्र कुमार वैष्णव, रेणुका।
2. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता जयप्रकाश, प्रतिवादी संख्या 2, 3 की ओर से इकबालिया जवाब, प्रतिवादी 4 एकपक्षीय।

–:निर्णय:–

दिनांकः– 16.05.2025

1. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में दिनांक 25.07.2024 को सरहद मौजा मौखुपुरा पटवार मण्डल सांचौर के खेत खसरा नम्बर 3819/2692 रकबा 2.4540 हैक्टेयर में वादी के वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्से अंश व कब्जे के अनुसार एवं वादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा प्रदर्श अ के मध्यनजर रखते हुए भूमि का बंटवाड़ा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार बंटवाडा किये जाने की प्राथमिक डिक्री के आदेश जारी किये गए थे। तथा तहसीलदार सांचौर से पत्रांक/कोर्ट/2025/213 दिनांक 23.04.2025 के द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार सांचौर द्वारा निर्णय की पालना में मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा प्रस्तावित कर पत्रांक/भू.अ./2025/1768 दिनांक 05.07.2025 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किया गया।

2. तहसीलदार सांचौर द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस[illegible]स्थित पक्षकारान को पढकर सुनाया गया । उभय पक्षकारान के अधिवक्ता [illegible] किसी प्रकार की विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं करते हुए [illegible] अनुसार बंटवाडा किये जाने का निवेदन किया गया। अतः तहसीलदार सांचौर से प्राप्त प्र[illegible]क डिक्री अनुसार बंटवाडा [illegible] ऐसी स्थिति में तहसीलदार सांचौर द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन जाना उचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.27 17:50:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. स	खातेदार का नाम	खसर नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	छगनाराम पुत्र पांचाराम कौम मेघवाल निवासी भूतेल तहसील चितलवाना	3819 / 2692	2.4540	0.64	चाही प्रथम	हरा	14.72
2.	जमनादेवी पत्नी राणाराम जाति मेघवाल निवासी सांचौर	3819 / 2692	2.4540	0.4908	चाही प्रथम	बैंगनी	14.72
3.	पारसाराम पुत्र कलाराम जाति मेघवाल निवासी मौखुपुरा	3819 / 2692	2.4540	0.4888	चाही प्रथम	केसरिया	14.72
				0.1728	जाव प्रथम		1.38
			कुल	0.6616			
4.	भमराराम पुत्र कलाराम जाति मेघवाल निवासी मौखुपुरा	3819 / 2692	2.4540	0.6616	जाव प्रथम	नीला	14.72

1. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(प्रमोदकुमार)
सहायक कलेक्टर सांचौर

निर्णय आज दिनांक 16.05.2025 से सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर सांचौर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.27 17:50:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner